आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

समाहरणालय पटना

न्यायालय अरवीट्रेटर सह अपर समाहर्त्ता, पटना

विवाचन वाद सं0–01/2017

गोपाल प्रसाद केशरी बनाम राज्य एवं अन्य

आदेश

21/02/18

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई एवार्डी गोपाल प्रसाद केशरी वल्द स्व0 नारायण साव, सा0–बिहटा, जिला–पटना द्वारा भू–अर्जन वाद सं0–81/12–13 अन्तर्गत लाया गया है। भू–अर्जन वाद सं0–81/12–13 द्वारा भू–अर्जन की कार्रवाई निम्न प्रकार से की गई हैः–

परियोजना का नाम– NH-30-84 पटना–बक्सर फोरलेन निर्माण,
मौजा–महादेवपुर फुलाड़ी, थाना नं0–53
NH Act की धारा 3(A) के तहत अधिसूचना–1160, दिनांक–23.05.12
पेपर प्रकाशन–प्रभात खबर में दि0–23.07.12 एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया में 24.07.12
NH Act की धारा 3(D) के तहत अधिसूचना–1051, दिनांक–26.04.13
पेपर प्रकाशन–प्रभात खबर एवं टाइम्स ऑफ इण्डीया में दिनांक–17.06.13
NH Act की धारा 3(G) के तहत प्राक्कलन स्वीकृति दिनांक–06.02.15
दखल–कब्जा की तिथि–13.02.2016

वादी गोपाल प्रसाद केशरी द्वारा लाये गये वाद के आलोक में सभी संबंधित पक्षकारों को सुनवाई की तिथि दिनांक–03.02.2017 निर्धारित करते हुए सूचना निर्गत की गई। लगातार सविस्तार सुनवाई के पश्चात् अभिलेख आदेशार्थ रखा गया।

सुनवाई के क्रम में वादी की ओर से कहा गया कि उनकी भूमि मौजा–महादेवपुर फुलाड़ी, थाना नं0–53, खाता सं0 क्रमशः–413, 463 एवं 467, खेसरा सं0 क्रमशः–1396, 1892 एवं 1912, रकवा क्रमशः–0.236, 0.091 एवं 0.0399 एकड़ है, परियोजना NH-30-84 पटना–बक्सर फोरलेन हेतु अर्जित की गई है। उक्त अर्जित भूमि की प्रकृति व्यावसायिक मुख्य सड़क निर्धारित की गई थी, फलस्वरूप वादी द्वारा NH Act की धारा 3(C) के तहत किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई। वादी की ओर से आगे कहा गया कि वादी को मुआवजा राशि का भुगतान वर्ष 2011–12 के बाजार दर किया गया है, जबकि 3(A) के तहत पेपर प्रकाशन दिनांक–23.07.2012 एवं 3(D) के तहत पेपर प्रकाशन अप्रैल 2013 में हुआ, तथा दिनांक–01.01.2014 को RFCTLARR Act-2013 प्रभावी हो गया। वादी द्वारा RFCTLARR Act-2013 के आधार पर दिनांक–01.01.2014 को MVR में निर्धारित दर 4,50,000.00 (चार लाख पचास हजार रूपये) प्रति डि0 की दर तथा 29.29% अतिरिक्त क्षतिपूर्ति 3(G)(1) का 10% तथा 100% सोलेशियम राशि जोड़कर मुआजवा भुगतान कराने का अनुरोध किया गया।

सुनवाई के क्रम में सक्षम प्राधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा कहा गया कि परियोजना पटना–बक्सर फोरलेन अन्तर्गत एल0 ए0 वाद सं0–81/12–13 द्वारा अर्जित मौजा–महादेवपुर फुलाड़ी, थाना नं0–53, रकवा–6.2168 हेक्टयर यानी 15.3679296 एकड़ भूमि का अधिग्रहण NH Act-1956 के तहत की गई है। चूंकि मुआवजा भुगतान हेतु प्राक्कलित राशि की गणना सभी परियोजना में एक हीं है, फलस्वरूप RFCTLARR Act-2013 प्रभावी होने के कारण NH Act की धारा 3A के तहत् उक्त तिथि को प्रभावी वित्तीय वर्ष 2012–13 का MVR के आधार पर दर की गणना कर विषयगत मौजा में Factor-2 यानी निर्धारित दर पर 100%

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
1	2	3

सोलेशियम 12% वार्षिक की दर से 36.26% सूद के साथ वादी को एवार्ड सं0–54(ख) के लिए खाता सं0–413, खेसरा सं0–1896, रकवा–0.236 एकड़ का 100% मुआवजा राशि मो0–1,60,82,078.00 (एक करोड़ साठ लाख बेरासी हजार अठहत्तर रूपये) मात्र तथा एवार्ड सं0–55(ख) के लिए खाता सं0–463, खेसरा सं0–1897, रकवा–0.091 एकड़ का 100% मुआवजा राशि मो0–62,01,140.00 (बासठ लाख एक हजार एक सौ चालीस रूपये) मात्र तथा एवार्ड सं0–63 के लिए खाता सं0–467, खेसरा सं0–1912, रकवा–0.0399 एकड़ का 100% मुआवजा राशि मो0–27,18,962.00 (सत्ताईस लाख अठारह हजार नौ सौ बासठ रूपये) मात्र का भुगतान एवार्डी को किया गया है।

सुनवाई के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा आगे कहा गया की एवार्डी को उपरोक्त मुआवजा राशि का भुगतान NH Act 1956 की धारा 3(G) के तहत स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर कर दी गयी है।

सुनवाई के क्रम में NHAI की ओर से कहा गया कि RFCTLARR Act का Section-84 आरवीट्रेशन कार्यवाही स्वीकार योग्य नहीं है। साथ हीं परियोजना निदेशक की ओर से आगे कहा गया की विषयगत मौजा में मार्गरेखन पर विवाद को लेकर तत्काल स्थगीत रखा गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया की वादी के दावा के संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा तथा उच्चाधिकारी से प्राप्त निदेश के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

सभी पक्षों को सुना। वादी का मुख्य रूप से दावा दिनांक–01.01.2014 के MVR के आधार पर गणना कर सभी अन्य देय राशि के साथ मुआवजा भुगतान का है।

सक्षम प्राधिकारी एवं परियोजना निदेशक, NHAI पटना की ओर से दिये गये व्यान एवं W/S से स्पष्ट है कि प्रश्नगत परियोजना के विषयगत मौजा का प्राक्कलन NH Act 1956 की धारा 3(G) के तहत तैयार कर मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। RFCTLARR Act-2013 प्रभावी हो जाने के आलोक में प्रश्नगत मौजा के प्राक्कलन में RFCTLARR Act-2013 की धारा 26 में निहित प्रक्रियाओं का पालन भी किया गया है। MVR का आधार वर्ष 3A के प्रकाशन की तिथि हीं है। जहाँ तक दिनांक–01.01.2014 के MVR के आधार पर मुआवजा निर्धारण करने का प्रश्न है, यह सरकार द्वारा लिए जाने वाला नीतिगत निर्णय से संबंधित है। अतः इसपर विवाचन वाद के अन्तर्गत निर्णय किया जाना उचित नहीं है। NHAI के प्रतिनिधि इस संबंध में अपने उच्चाधिकारियों को अवगत करा देंगे। भविष्य में प्रश्नगत मौजा का अतिरिक्त मुआवजा भुगतान के संबंध में निर्णय प्राप्त होने के आलोक में परिवादी को नियमानुसार पुनः भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

इसी निर्णय के साथ वाद की कार्रवाई निष्पादित की जाती है।

21/2/18

आरवीट्रेटर
–सह–
अपर समाहर्त्ता,
पटना।